सं.11(15)/2022-पी&पीडबल्यू (एच)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 11th अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : - वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।

केंद्रीय सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी को अपनी पेंशन आगे जारी रखने के लिए नवंबर मास में वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। यह देखा गया है कि इस प्रयोजन के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं में जाते हैं।

2. अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए एक अतिरिक्त विशेष विंडो देने के लिए, इस विभाग ने दिनांक 18.07.2019 के अपने का.ज्ञा.सं. 1/20/2018-पी&पीडबल्यू(ई) द्वारा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर के स्थान पर 1 अक्तूबर से वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

3. वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगी के लिए उपलब्ध विभिन्न तरीकों को एक बार फिर पेंशनभोगियों की जागरूकता के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। पेंशनभोगी की सुविधानुसार वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र मैन्युअल रूप से या डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है:–

i. पेंशन संवितरण प्राधिकरणों(पीडीए) द्वारा जीवन प्रमाणपत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है, यदि पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होता है।

ii. पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी, यदि पेंशनभोगी किसी 'नामित अधिकारी' द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्ररूप प्रस्तुत करता है, सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार, निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, निर्धारित प्ररूप में जीवन प्रमाणपत्र जमा करने वाले पेंशनभोगी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है। सीपीएओ की योजना पुस्तिका के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित अधिकारियों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

iii. पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। "जीवन प्रमाण" के माध्यम से फिंगरप्रिंट द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया https://youtu.be/nNMlkTYqTF8 पर देखी जा सकती है। यूआईडीएआई ने ऐसे सभी बायोमेट्रिक उपकरणों का ब्यौरा उपलब्ध कराया है जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए अनुमत हैं। पेंशनभोगी ऐसे सभी उपकरणों की जानकारी www.uidai.gov.in साइट पर प्राप्त कर सकते हैं।

iv. पेंशनभोगी यूआईडीएआई आधार सॉफ्टवेयर पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी प्रणाली का उपयोग करके भी जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं, जिसके द्वारा ऑनलाइन जमा करने के लिए, किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से, जीवन प्रमाण मोबाइल एप्लिकेशन पर पेंशनभोगी की लाइव तस्वीर को कैप्चर करके, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट किया जा सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पेंशनर्स पोर्टल पर "जीवन प्रमाण→ डीएलसी तैयार करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन पूरी प्रक्रिया" उपलब्ध है। URL:http://pensionersportal.gov.in/Document/Face_JP.pdf

v. डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक(आईपीपीबी) ने मेटी(MeitY) के साथ मिलकर नवंबर, 2024 में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पहल: "डाकियों के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए डोरस्टेप सेवा" को सफलतापूर्वक शुरू किया है। आईपीपीबी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करने के लिए, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, 1.41 लाख से अधिक डाकघरों तथा स्मार्ट फोन और बायोमेट्रिक उपकरणों से लैस 2.06 लाख से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के अपने राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। आईपीपीबी द्वारा दी जा रही डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका यूआरएल है : https://ippbonline.com/web/ippb/digital-life-certificate1। डोरस्टेप सेवा का अनुरोध निम्नानुसार किया जा सकता है :

क. स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से "Post info APP" डाउनलोड करके।

ख. कंप्यूटर पर ippbonline.com के माध्यम से।

ग. डाकघर के माध्यम से।

घ. 155299/033-22029000 पर कॉल करके।

ङ. contact@ippbonline.in पर ईमेल करके।

vi. 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एलायंस, जो बैंकिंग सुधारों में सुगमता के अंतर्गत देश के 100 प्रमुख शहरों में अपने ग्राहकों के लिए "डोरस्टेप बैंकिंग" की सुविधा प्रदान करते हैं, के माध्यम से भी डोरस्टेप बैंकिंग उपलब्ध है। पीएसबी एलायंस ने डोरस्टेप बैंकिंग(डीएसबी)के अंतर्गत जीवन प्रमाणपत्र के संग्रहण की सेवा शुरू की है। डीएसबी एजेंट सेवा प्रदान करने के लिए पेंशनभोगी के घर पर जाएगा। पेंशनभोगी निम्नलिखित 3 चैनलों में से किसी भी एक द्वारा सेवा बुक कर सकते हैं :

- मोबाइल – 'डोरस्टेप बैंकिंग ऐप' - गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर ,
- वेबसाइट - https://psballiance.com/doorstep-banking.html
- टोल फ्री नंबर – 9152220220 पर कॉल करके

4. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकरणों से अनुरोध है कि अनुपालनार्थ इस कार्यालय ज्ञापन का संज्ञान लें और पेंशनभोगियों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644431

सेवा में,

1. सभी पेंशन संवितरण बैंक और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों के सीएमडी/सीपीपीसी ।
2. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट -II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली ।
4. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक,नई दिल्ली।
5. सचिव, पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली।
9. एनआईसी : - इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु ।
10. पेंशनभोगियों के पोर्टल के अंतर्गत सभी पेंशनभोगी संघ:- पेंशनभोगियों के बीच प्रचार-प्रसार के लिए।

अनुबंध-I

जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची(सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार)

(i) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;

(ii) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार;

(iii) सरकारी राजपत्रित अधिकारी;

(iv) पुलिस थाने का न्यूनतम उप-निरीक्षक के पद का प्रभारी पुलिस अधिकारी;

(v) डाकघर का पोस्टमास्टर, विभागीय उप- पोस्टमास्टर या निरीक्षक;

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक का ग्रेड-I अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक का अधिकारी(ग्रेड-II अधिकारी सहित);

(vii) न्यायमूर्ति;

(viii) खंड विकास अधिकारी, मुनसिफ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार:

(ix) पंचायत, ग्राम पंचायत, गांव पंचायत या किसी गांव की कार्यकारी समिति का प्रमुख;

(x) गांव की कार्यपालक समिति

(xi) संसद सदस्य, राज्य विधान सभा का सदस्य, या संघ शासित प्रदेश/प्रशासन की विधान सभा का सदस्य;

(xii) कोषागार अधिकारी।